

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 17-04-2025

विषय सूची

बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय
तमिलनाडु सरकार ने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का परामर्श जारी किया
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे
पूर्वोत्तर की बढ़ती प्रासंगिकता - दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
चीन ने दुर्लभ भू-तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
गुजरात में पार्टिकुलेट मैटर ट्रेडिंग योजना

संक्षिप्त समाचार

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा
कपास धागा
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति छह वर्ष के निचले स्तर पर पहुँची
असम कॉलेज के नाम पर मेंढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया
मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार

बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में माता-पिता को आगाह किया है, कि वे बाल तस्करी के बढ़ते खतरे के प्रति सतर्क रहें।
 - न्यायालय ने यह भी कहा है कि तस्कर, बच्चों को अपराध के लिए मजबूर करने के लिए, किशोर सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

बाल तस्करी के बारे में

- बाल तस्करी को बच्चों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय, या किसी शोषण के उद्देश्य से प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बाल तस्करी के रूप:**
 - मजबूर श्रम:** बच्चों को घरेलू कामकाज, कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों में तस्करी की जाती है।
 - यौन शोषण:** कई पीड़ितों को वेश्यावृत्ति या ऑनलाइन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है।
 - गैरकानूनी गोद लेना:** आपराधिक नेटवर्क बच्चों का अपहरण कर उन्हें गोद लेने के लिए बेचते हैं।

वर्तमान स्थिति और आँकड़े

- 2018 से 2022 के बीच तस्करी के 10,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन केवल 1,031 मामलों में सजा दी गई।
- उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं, जहाँ तस्करी के सबसे अधिक मामले सामने आए।
- 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 3098 पीड़ित (18 वर्ष से कम उम्र) बचाए गए।

बाल तस्करी से निपटने में चुनौतियाँ

- कम सजा दर:** हजारों गिरफ्तारी के बावजूद, सजा दर 5% से कम है, जो जाँच और अभियोजन में खामियाँ दिखाती है।
- जागरूकता और रिपोर्टिंग की कमी:** डर, कानूनी जानकारी की कमी, और सामाजिक कलंक के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं होते।

- अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क:** तस्कर राज्य की सीमाओं के पार कार्य करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना और समाप्त करना कठिन हो जाता है।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढाँचा

- संविधान का अनुच्छेद 23:** यह मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकता है।
- अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA):** यह मानव तस्करी को अपराध घोषित करता है और बच्चों को विशेष रूप से यौन उद्देश्यों के लिए तस्करी से बचाने के लिए दंड प्रावधान करता है।
- पोक्सो अधिनियम, 2012:** यह बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से बचाने के लिए बनाया गया था।
- जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम, 2015:** इसमें जोखिम में बच्चों एवं तस्करी के शिकार बच्चों की परिभाषा दी गई है और पुनर्वास का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS):** धारा 143 और 144 मानव तस्करी के अपराधों के लिए प्रावधान करती हैं।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):** यह तस्करी को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में मान्यता देती है।
- मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (AHTUs):** सरकार ने AHTUs की स्थापना और मजबूती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC):** यह जानकारी साझा करने और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- उज्ज्वला योजना:** यह योजना तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के बचाव, पुनः एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिए है।

बाल तस्करी से संबंधित वैश्विक पहल

- संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल (पलेर्मो प्रोटोकॉल):** यह तस्करी रोकने, सुरक्षा प्रदान करने और अभियोजन के लिए ढाँचा प्रदान करता है।
- वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट:** यह संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO):** यह बाल श्रम को खत्म करने के लिए कार्य करता है, जो तस्करी का एक रूप है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माता-पिता, अधिकारियों और समाज के लिए एक जागृति का संकेत है, जिससे वे बाल तस्करी के बढ़ते खतरे को दूर करें। न्यायालय ने सतर्कता, जवाबदेही और त्वरित कानूनी कार्रवाई पर बल देकर इस जघन्य अपराध से निपटने की नींव रखी है।

Source: TH

तमिलनाडु सरकार ने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का परामर्श जारी किया

संदर्भ

- तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें तमिल भाषा को सभी सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए वर्तमान प्रावधानों और आदेशों को दोहराया गया है।

परिचय

- आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1956 के अनुसार तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक भाषा तमिल है।

परामर्श के अनुसार:

- सरकारी आदेश केवल तमिल में जारी किए जाने चाहिए, और परिपत्र भी तमिल में होने चाहिए।
- जनता से प्राप्त तमिल में लिखे पत्रों का उत्तर तमिल में दिया जाना चाहिए; उनके बारे में नोट भी तमिल में होने चाहिए।

- सरकारी कर्मचारी सभी पत्राचार में केवल तमिल में हस्ताक्षर करें।

राज्य विधानमंडल में क्षेत्रीय भाषाएँ

- अनुच्छेद 345 के अनुसार:** राज्य विधानमंडल राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा या हिंदी को आधिकारिक कार्य के लिए चुन सकता है।
- हालाँकि, जब तक राज्य इसे बदलने के लिए कोई कानून पारित नहीं करता, संविधान लागू होने से पहले जहाँ अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, वहाँ इसका उपयोग जारी रहेगा।

संघ की आधिकारिक भाषा

- अंग्रेजी, हिंदी के साथ, केंद्रीय सरकार की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- अनुच्छेद 343(2)** कहता है कि “इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक, अंग्रेजी भाषा का उपयोग संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहेगा, जिसके लिए इसका उपयोग पहले से ही किया जा रहा था।”
- अनुच्छेद 343(3)** के तहत, “संसद कानून द्वारा उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद—(क) अंग्रेजी भाषा, या (ख) देवनागरी रूप में अंकों के उपयोग के लिए प्रावधान कर सकती है।”
- 26 जनवरी 1965 को आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 लागू हुई, जिसमें “संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग और संसद में उपयोग को जारी रखने” का प्रावधान किया गया।

प्रशासनिक दक्षता बनाम क्षेत्रीय आग्रह

- केवल तमिल का उपयोग** केंद्रीय अधिकारियों या अंतर-राज्य समन्वय के साथ संचार चुनौतियों का कारण बन सकता है।
- अधिनियमों और पत्रों के अनुवाद की आवश्यकता ध्यान से लागू न किए जाने पर देरी या त्रुटियों का कारण बन सकती है।
- सरकारी सेवकों को तमिल में हस्ताक्षर करने के निर्देश गैर-तमिल पृष्ठभूमि के अधिकारियों, विशेष रूप से

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं।

- d. केवल तमिल निर्देशों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी समायोजन, विशेष रूप से डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, और ई-गवर्नेंस उपकरणों में आवश्यकता हो सकती है।

हिंदी भाषा की स्थिति

- भारत के संविधान में किसी एक भाषा को भारत की 'राष्ट्रीय भाषा' के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 343 (संघ की राजभाषा) के खंड 1 में कहा गया है कि, "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।"
- अनुच्छेद 351 (हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश) में कहा गया है, "हिंदी भाषा का प्रसार करना तथा उसका विकास करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।"
- हालाँकि, प्रावधान में कहा गया है कि ऐसा "हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों, उनकी मौलिकता में हस्तक्षेप किए बिना" किया जाना चाहिए।

आठवीं अनुसूची

- प्रारंभ में इस अनुसूची में केवल 14 भाषाएँ थीं।
- वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 - इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।
- आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं की सूची में अंग्रेजी भाषा अनुपस्थित है। यह भारत की 99 गैर-अनुसूचित भाषाओं में से एक है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई — वरिष्ठता के अनुसार अगली पंक्ति में — को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्रीय विधि मंत्रालय को अनुशंसा दी है।

CJI की नियुक्ति के बारे में

- भारत के संविधान में CJI की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।
- संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में केवल यह कहा गया है कि "भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा।"
- अनुच्छेद 124 के उपखंड (2) के अनुसार प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- इसलिए, संवैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में, CJI की नियुक्ति की प्रक्रिया परंपरा पर निर्भर करती है।

परंपरा क्या है?

- निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी की अनुशंसा करते हैं, यह अभ्यास वरिष्ठता पर आधारित होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठता आयु द्वारा नहीं, बल्कि SC में नियुक्ति की तिथि द्वारा परिभाषित होती है।
- यदि दो न्यायाधीशों को एक ही दिन सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है, तो जो पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ लेता है, वह दूसरे से ऊपर होगा;
- यदि दोनों एक ही दिन न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं, तो उच्च न्यायालय सेवा के अधिक वर्षों वाले न्यायाधीश 'वरिष्ठता के मामले में' विजयी होंगे;
- बेंच से की गई नियुक्ति बार से नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता के ऊपर वरीयता प्रदान करेगी।

CJI की भूमिकाएँ और शक्तियाँ

- **रोस्टर का मास्टर:** CJI के पास विभिन्न पीठों को मामलों को सौंपने का विशेष अधिकार होता है। इस

शक्ति में सुनवाई के कार्यक्रम और प्राथमिकता निर्धारित करना शामिल है।

- **न्यायाधीशों की नियुक्ति:** CJI, कॉलेजियम (जो सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है) के साथ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति CJI और कॉलेजियम के साथ परामर्श करते हैं।
- **अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति:** संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत, आवश्यकता पड़ने पर CJI सर्वोच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट का स्थान परिवर्तन:** राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, CJI सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।

CJI हटाने की प्रक्रिया

- भारत के राष्ट्रपति को CJI को हटाने का अधिकार है।
- हालाँकि, राष्ट्रपति केवल तभी CJI को हटा सकते हैं जब संसद हटाने का अनुरोध करने वाला पता प्रस्तुत करती है।
- इस पते को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।

Source: TH

पूर्वोत्तर की बढ़ती प्रासंगिकता - दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में

संदर्भ

- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में पूर्वोत्तर की बढ़ती प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।


परिचय

- विदेश मंत्री आगामी पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के लिए राजदूतों की एक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
- इसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा किया गया था।

- उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र कई प्रमुख भारतीय नीतियों के केंद्र में है - चाहे वह नेबर फर्स्ट नीति हो, एकट ईस्ट हो या बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल हो।


पूर्वोत्तर क्षेत्र

- NER में आठ राज्य शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
- यह क्षेत्र सांस्कृतिक और नृजातीय दृष्टि से विविधतापूर्ण है, जिसमें 200 से अधिक नृजातीय समूह हैं, जिनकी अलग-अलग भाषाएँ, बोलियाँ और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान हैं।
- यह क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.97% तथा जनसंख्या का 3.78% भाग कवर करता है।
- इसकी 5,484 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश (1,880 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), चीन (1,346 किमी), भूटान (516 किमी) और नेपाल (99 किमी)।



यह दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कैसे है?

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत और पूर्व/दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक जीवंत संपर्क बनने की क्षमता है।
- बिम्स्टेक, विशेषकर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान जैसे देश, सीमा पार कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बना सकते हैं।
- **कलादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना:** इसका उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को राखीन में सित्तवे बंदरगाह से जोड़ना है, जिसे बाद में सड़क मार्ग से मिजोरम से जोड़ा जाएगा तथा कलादान नदी जो पलेत्वा से होकर बहती है, से जोड़ा जाएगा।
 - **समुद्री मार्ग:** कोलकाता – सित्तवे (म्यांमार)।
 - **नदी मार्ग:** सित्तवे – पलेत्वा।
 - **सड़क मार्ग:** पलेत्वा - ज़ोरिनपुर (मिजोरम सीमा)।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग:** तीन देशों को जोड़ने वाला 1,400 किलोमीटर लंबा राजमार्ग लगभग 70% पूरा हो चुका है, लेकिन 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कई स्थानों पर बाकी काम प्रभावित हुआ है।



- **मोटर वाहन समझौते (MVA):** माल और लोगों की निर्बाध सीमा पार आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण। दो MVA प्रगति पर हैं:
 - बीबीआईएन एमवीए (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल)
 - भारत-म्यांमार-थाईलैंड MVA.

- आधुनिक निवेश जैसे कि जापान की विदेशी विकास सहायता (ODA) के माध्यम से:
 - भारत-जापान एकट ईस्ट फोरम (2017 में स्थापित)।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और सांस्कृतिक संपर्क परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करना।

चिंताएँ

- कनेक्टिविटी कॉरिडोर (सड़क और रेल) भारत को बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और आसियान देशों के साथ एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- पहाड़ी इलाका होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे निर्माण चुनौतीपूर्ण है।
- विद्रोही समूह प्रगति में बाधा डालते हैं, जिनमें भारतीय श्रमिकों का अपहरण भी शामिल है।
- म्यांमार में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल परियोजना के पूरा होने और सहयोग में बाधा डाल रही है।
- **मोटर वाहन समझौता :** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने बीबीआईएन एमवीए से अपना नाम वापस ले लिया।
 - स्थानीय व्यवसायों के लिए संभावित नुकसान के कारण थाईलैंड हिचकिचा रहा है।

आगे की राह

- ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित पूर्वोत्तर को हाल के दशकों में प्रमुखता मिली है।
- भारत की 'एकट ईस्ट' नीति और विकसित हो रहे हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक गतिशीलता के कारण इसका सामरिक महत्व बढ़ गया है।
- इस क्षेत्र को अब भारत की क्षेत्रीय संपर्क पहलों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है।
- चल रहे संपर्क प्रयासों के लिए रेल और सड़क परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण तथा सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य पूर्वोत्तर की बहुआयामी क्षमता को अधिकतम करना तथा क्षेत्रीय संपर्क केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करना है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में

- इसे चिकन्स नेक के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है।



- यह महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित पूर्वी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अर्थ

- सामरिक सम्पर्क:** यदि यह बाधित हुआ तो इससे पूर्वोत्तर राज्य अलग-थलग पड़ जाएंगे, जिससे सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और सैन्य सहायता की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा।
- सैन्य एवं रक्षा संबंधी विचार:** यह संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित है, विशेष रूप से चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ।
 - यह संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना और आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है।
- भू-राजनीतिक भेद्यता:** गलियारे की संकीर्णता इसे विरोधियों द्वारा अवरोधों या नियंत्रण के प्रति संवेदनशील बनाती है।
 - किसी भी व्यवधान से भारत की पूर्वोत्तर तक पहुँच बाधित हो सकती है, जिससे बाहरी शक्तियों को क्षेत्र को प्रभावित करने या अस्थिर करने का अवसर मिल सकता है।
- आर्थिक और व्यापारिक महत्व:** यह बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार को भी सुविधाजनक बनाता है।
- आंतरिक सुरक्षा:** सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा सुनिश्चित करना आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्षेत्र को अस्थिर करने वाले बाहरी प्रभावों को रोकने में मदद मिलती है और राष्ट्रीय एकता को समर्थन मिलता है।

Source: TH


भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

समाचार में

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आधुनिक सिल्क रूट के रूप में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की क्षमता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ना है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में

- स्थापना:** नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सीधे तौर पर IMEC के लिए आधिकारिक घोषणा और प्रारंभिक कदमों की ओर इशारा करता है।
- उद्देश्य:** भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, समुद्री लाइनों और पाइपलाइनों को शामिल करते हुए एक बहु-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना का वर्णन IMEC के घोषित लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
- गलियारे:** पूर्वी गलियारे (भारत से खाड़ी) और उत्तरी गलियारे (खाड़ी से यूरोप) में विभाजन IMEC का एक प्रमुख संरचनात्मक तत्व है।



भारत के लिए IMEC का अर्थ

- सामरिक भू-राजनीतिक प्रभाव:**
 - चीन के बी.आर.आई. के प्रतिकार हेतु: आई.एम.ई.सी. को चीन के बेल्ट एंड रोड

इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) के पश्चिम समर्थित विकल्प के रूप में देखा जाता है, जो भारत को वैश्विक कनेक्टिविटी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है।

- **पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करना:** यह संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजरायल और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक जुड़ाव को बढ़ाता है।

- **व्यापार एवं आर्थिक वृद्धि:**

- **तीव्र, सस्ते व्यापार मार्ग:** IMEC भारतीय निर्यात को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने के लिए एक कुशल गलियारा प्रदान करता है, जिससे पारगमन समय और लागत कम हो जाती है।
- **आर्थिक एकीकरण:** भारत के बंदरगाहों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलता है।

- **ऊर्जा सुरक्षा:**

- यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के साथ संरेखित होकर, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतर ऊर्जा सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी ऊर्जा केन्द्रों से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा।

- **डिजिटल अवसंरचना और प्रौद्योगिकी:**

- इसमें भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी (जैसे फाइबर-ऑप्टिक केबल) की योजनाएँ शामिल हैं - जो तकनीकी साझेदारी और साइबर सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।

- **बुनियादी ढाँचा और समुद्री विकास:**

- भारतीय बंदरगाहों को वैश्विक लॉजिस्टिक्स शृंखलाओं में एकीकृत करके सागरमाला परियोजना के तहत भारत के बंदरगाह-आधारित विकास को

बढ़ावा दिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स लागत को 30% तक कम किया जा सकता है।

- **बहुपक्षीय सहयोग:**

- यह भारत की छवि को एक जिम्मेदार वैश्विक अभिकर्ता और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मजबूत करता है।
- अमेरिका, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के साथ त्रिकोणीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता:**

- इजराइल-फिलिस्तीन संकट, ईरान और खाड़ी देशों के बीच टकराव, तथा सामान्य क्षेत्रीय अशांति जैसे चल रहे संघर्ष गलियारे की योजना और परिचालन को प्रभावित कर सकते हैं।
- इन महत्वपूर्ण अवरोधक बिंदुओं पर समुद्री डकैती, नौसैनिक झड़पें या नाकेबंदी जैसे मुद्दे सुचारू व्यापार प्रवाह को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकते हैं।

- **बुनियादी ढाँचे और वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:**

- बंदरगाहों, रेलवे, ऊर्जा प्रणालियों और डिजिटल नेटवर्क जैसे बहुविध लॉजिस्टिक्स केन्द्रों की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से भारी निवेश की आवश्यकता होती है।
- भूमि अधिग्रहण, विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना, तथा विभिन्न देशों में नौकरशाही संबंधी लालफीताशाही से निपटना जैसी चुनौतियाँ बुनियादी ढाँचे के विकास को धीमा कर सकती हैं।

- **बहुराष्ट्रीय समन्वय:**

- IMEC कई संप्रभु राष्ट्रों (भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और यूरोपीय संघ के देश) को एक साथ लाता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्राथमिकताएँ, नीतियाँ और राजनीतिक परिदृश्य हैं।

- **तकनीकी और डिजिटल मानकीकरण:**

- इस कॉरिडोर में डेटा केबल और हरित ऊर्जा ग्रिड सहित डिजिटल और ऊर्जा तत्व शामिल हैं, तथा

यह सुनिश्चित किया गया है कि अन्य तकनीकी चुनौतियों की जाँच करते हुए सब कुछ निर्बाध रूप से कार्य करता रहे।

• मौजूदा मार्गों से प्रतिस्पर्धा:

- स्वेज नहर या यहां तक कि चीन के BRI गलियारों के माध्यम से वर्तमान समुद्री मार्ग अभी भी अधिक किफायती हो सकते हैं। भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि IMEC न केवल लागत प्रभावी हो, बल्कि वैश्विक व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए तार्किक रूप से भी बेहतर हो।

Source: DD News

चीन ने दुर्लभ भू-तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

समाचार में


- हाल ही में, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद सात दुर्लभ भू-तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसमें सैमरियम, गैडोलीनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं।

दुर्लभ भू-तत्व

China, a leading player in critical minerals

China's dominance in critical minerals stems from its vast resource base and strategic investments across the value chain. As the world's largest mining nation, China has discovered 173 types of minerals

China's global market share (in percentage) across various minerals as of 2022



- वे आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह हैं - सीरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), अर्बियम (Er) आदि। सभी के रासायनिक गुण समान हैं और वे चांदी के रंग के दिखाई देते हैं।

- अपने नाम के बावजूद, वे उतने दुर्लभ नहीं हैं जितने वे प्रतीत होते हैं, लेकिन संकेंद्रित, आर्थिक रूप से खनन योग्य भंडारों को खोजना कठिन है।

- 1990 के दशक से चीन दुर्लभ भू-तत्व बाजार पर हावी रहा है तथा वैश्विक माँग का 85-95% हिस्सा चीन द्वारा पूरा किया जाता रहा है।

महत्व

- दुर्लभ भू-तत्व (REEs) विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण हैं, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा (इलेक्ट्रिक वाहन और पवन टर्बाइन), इलेक्ट्रॉनिक्स (डिजिटल डिस्प्ले) और ऑटोमोबाइल विनिर्माण (पावर स्टीयरिंग, खिड़कियाँ और स्पीकर के लिए चुंबक) शामिल हैं।
- वे रक्षा सहित उच्च तकनीक वाले उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

चीन के निर्यात प्रतिबंधों के परिणाम

- चीन महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर हावी है, तथा विशाल भंडार और प्रसंस्करण क्षमताओं पर नियंत्रण रखता है, जिसमें 87% दुर्लभ भू-तत्व प्रसंस्करण एवं लिथियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन शोधन में प्रमुख हिस्सेदारी शामिल है।

- नये नियंत्रणों से विश्व स्तर पर दुर्लभ भू-तत्वों पर निर्भर उद्योगों में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाएँगी तथा आपूर्ति में कमी आने की संभावना है।

- आपूर्ति कम होने के कारण, REE की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उत्पादन लागत और समग्र कीमतें और बढ़ सकती हैं।

- REEs उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों जैसे लड़ाकू जेट (जैसे, एफ-35), पनडुब्बियों (जैसे, वर्जीनिया और कोलंबिया वर्ग), मिसाइलों (जैसे, टॉमहॉक) के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- खनन प्रक्रिया से पर्यावरण को भी भारी क्षति हो सकती है, क्योंकि इससे आर्सेनिक और कैडमियम जैसे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं।

भारत में स्थिति

- भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल राज्यों में दुर्लभ भू-तत्वों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। केरल की मोनाजाइट रेत विशेष रूप से REEs से समृद्ध है।
- भारत छह प्रमुख खनिजों के लिए चीन पर 40% से अधिक निर्भरता के साथ गंभीर संकट का सामना कर रहा है: बिस्मथ (85.6%), लिथियम (82%), सिलिकॉन (76%), टाइटेनियम (50.6%), टेल्यूरियम (48.8%), और ग्रेफाइट (42.4%)।
- महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बावजूद, भारत के पास अपने स्वयं के भंडारों से लिथियम जैसे खनिजों को निकालने की तकनीक का अभाव है।

क्या आप जानते हैं ?

- वर्ष 2023 में भारत ने अपने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनके लिए आयात पर निर्भरता काफी अधिक है, विशेष रूप से चीन से।

निष्कर्ष और आगे की राह

- REEs के अद्वितीय चुंबकीय और प्रकाशीय गुण उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी में अपरिहार्य बनाते हैं।
- इस संदर्भ में, भारत विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश करके, खनिज सुरक्षा साझेदारी जैसी वैश्विक पहलों में शामिल होकर तथा रीसाइक्लिंग और अनुसंधान को बढ़ावा देकर अपनी आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है।
- हालाँकि, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक निवेश और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- REEs की स्वदेशी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ और कार्यान्वयन रणनीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता है।

Source :IE

गुजरात में पार्टिकुलेट मैटर ट्रेडिंग योजना

संदर्भ

- एक अध्ययन में पाया गया कि गुजरात में सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) से पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लाभ हुए।

परिचय

- सूरत में 2019 में शुरू की गई उत्सर्जन व्यापार योजना पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के लिए दुनिया की पहली बाजार-आधारित व्यापार प्रणाली है और भारत की किसी भी प्रकार की पहली प्रदूषण व्यापार योजना है।
- यह एक कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जहां कुल उत्सर्जन पर सीमा लगा दी जाती है और औद्योगिक इकाइयों के बीच उत्सर्जन परमिट का व्यापार किया जा सकता है।

- इसे गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के सहयोग से विकसित किया है।

यह योजना कैसे कार्य करती है?

- **सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS):** 318 कोयला-उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को PM उत्सर्जन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग करने के लिए CEMS स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
 - यह समय-समय पर मौके पर जाकर जाँच करने की पुरानी प्रणाली में बदलाव का संकेत है।
 - GPCB ने वास्तविक समय CEMS डेटा के आधार पर 170 टन/माह की सीमा निर्धारित की।
- **नीलामी:** GPCB ने उत्सर्जन सीमा का लगभग 80% मुफ्त परमिट जारी किया, जो संयंत्र की उत्सर्जन क्षमता (जैसे, बॉयलर आकार) के अनुपात में वितरित किया गया, जबकि शेष 20% की साप्ताहिक नीलामी की गई।
 - अपने उत्सर्जन के अनुरूप पर्याप्त परमिट न रखने वाली कम्पनियों पर आनुपातिक रूप से जुर्माना लगाया गया।

सूरत ETS की प्रमुख उपलब्धियाँ

मापदंड	प्रभाव
प्रदूषण में कमी	PM उत्सर्जन में 20-30% की कमी
लागत क्षमता	प्रदूषण निवारण लागत में 10% से अधिक की कमी
अनुपालन	पर्यावरण मानदंडों का 99% अनुपालन।

कार्यक्रम का महत्त्व


- पर्यावरणीय नवाचार: PM उत्सर्जन के लिए विश्व स्तर पर पहली कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली होने के नाते यह बाजार

आधारित पर्यावरणीय विनियमन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

- डेटा-संचालित नीति:** वास्तविक समय CEMS डेटा के उपयोग से साक्ष्य-आधारित विनियमन और वास्तविक उत्सर्जन स्तरों से मेल खाने के लिए सीमाओं को धीरे-धीरे सख्त करने की अनुमति मिली।
- मापनीयता:** सूरत में मिली सफलता ने अन्य भारतीय शहरों तथा NO_x और SO₂ सहित अन्य प्रदूषकों के लिए भी इसी प्रकार की योजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है।

पार्टिकुलेट मैटर (PM) क्या है?

- कणिकीय पदार्थ (PM) से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों से है जो ठोस कणों या तरल बूंदों या दोनों के रूप में हवा में तैरते रहते हैं।
- कण आकार के आधार पर, PM को चार समूहों में विभाजित किया जाता है:
 - PM₁₀, जिसे मोटे कण पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार $\leq 10 \mu\text{m}$ होता है;
 - PM_{2.5}, जिसे सूक्ष्म कण पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार $\leq 2.5 \mu\text{m}$ होता है;
 - $< 0.3 \mu\text{m}$ व्यास वाले PM_{0.3} कणों को अर्ध-अल्ट्राफाइन कणों के रूप में जाना जाता है;
 - PM_{0.1}, जिसे अतिसूक्ष्म कणिका पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार $\leq 0.1 \mu\text{m}$ होता है।



कणिकीय पदार्थ के स्रोत

- प्राकृतिक स्रोत:** धूल भरी आंधी, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट
- मानवजनित स्रोत:** वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ तथा बायोमास और जीवाश्म ईंधन का जलना।

PMबारे का स्वास्थ्य पर प्रभाव

- श्वसन रोग: अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
- हृदय संबंधी समस्याएँ: दिल के दौरों और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है।
- तंत्रिका संबंधी विकार: बच्चों में संज्ञानात्मक गिरावट और तंत्रिका विकास संबंधी समस्याएँ।
- असामयिक मृत्यु: लम्बे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़े और हृदय रोगों के कारण समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

Source: DTE

संक्षिप्त समाचार**कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा****समाचार में**

- भारत और चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो कोविड-19 और सीमा तनाव के कारण 2019 से निलंबित है।

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के बारे में

- इसका आयोजन विदेश और गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तथा दिल्ली, सिक्किम और उत्तराखंड की सरकारों के साथ-साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम जैसी राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- 2020 तक इसे दो आधिकारिक मार्गों से संचालित किया गया: लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड, 1981 से) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम, 2015 से)।
- यह हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व रखता है, तथा प्रत्येक वर्ष सैकड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।
- यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए वैध पासपोर्ट वाले पात्र भारतीय नागरिकों के लिए खुला है।
 - सरकार यात्रा के लिए कोई वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान नहीं करती है।

Source :TH

कपास धागा**संदर्भ**

- बांग्लादेश ने अपने स्थल बंदरगाहों के माध्यम से भारत से धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

परिचय

- कपास का धागा एक प्राकृतिक रेशा है जो पूरी तरह से कपास के रेशों से बनाया जाता है, तथा कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है।
- यह मुलायम, हवादार और शोषक है, जिसके कारण यह कपड़े, बुनाई, क्रोशिया और शिल्पकला जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है।
- कताई प्रक्रिया और गुणवत्ता के आधार पर सूती धागे को कार्डेड, कॉम्बेड एवं कॉम्पैक्ट धागे में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत का कपास धागा निर्यात

- भारत विश्व स्तर पर कपास धागे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
- भारत ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर मूल्य का सूती धागा और लगभग 85 मिलियन डॉलर मूल्य का मानव निर्मित फाइबर धागा निर्यात किया।
- प्रमुख निर्यात गंतव्यों में बांग्लादेश, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ

- भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) का गठन 2005 में भारतीय कपास मिल्स महासंघ (ICMF) से हुआ था।
 - ICMF की स्थापना 1958 में हुई थी और इसे 1967 में एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- यह एकमात्र राष्ट्रीय संघ है जो वस्त्र और परिधान उद्योग के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें घरेलू

और निर्यातक इकाइयाँ शामिल हैं, जिनमें खेतों से लेकर परिधानों और यहां तक कि वस्त्र मशीनरी तक के क्षेत्रीय और क्षेत्रीय संघ शामिल हैं।

- CITI भारत सरकार और उद्योग के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

Source: TH

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति छह वर्ष के निचले स्तर पर पहुंची

समाचार में

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6% हो गई, जो 2018-19 के बाद सबसे कम है।

CPI-आधारित मुद्रास्फीति या खुदरा मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है।
- खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग करके मापा जाता है, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्यों के भारित औसत की गणना करता है।
- इसलिए, खुदरा मुद्रास्फीति को CPI-आधारित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है।
- CPI वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की लागत पर नज़र रखता है, और इसकी गतिविधियाँ मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का संकेत देती हैं, जो क्रय शक्ति एवं आर्थिक नीति को प्रभावित करती हैं।
- भारत में इसकी गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 2012 को आधार वर्ष मानकर की जाती है।
- भारत में, सामान्य CPI (CPI-संयुक्त) के साथ-साथ, विभिन्न जनसंख्या समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खंड-विशिष्ट सूचकांक भी प्रकाशित किए जाते हैं:
 - CPI (IW) - औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- CPI (AL) - कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- CPI (RL) - ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

Source: TH

असम कॉलेज के नाम पर मेंढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया

संदर्भ

- असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में लेप्टोब्रेकियम आर्यटियम नामक एक नई मेंढक प्रजाति की खोज की गई है।

परिचय

- इस प्रजाति का नाम गुवाहाटी के एक प्रतिष्ठित संस्थान आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है।
- 2004 में इसे शुरू में लेप्टोब्रेकियम स्मिथी के रूप में गलत पहचाना गया था।
- **लेप्टोब्रेकियम वंश:** इसमें 38 ज्ञात प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।
 - ये मेंढक मोटे, चौड़े सिर, विशिष्ट रंग की आंखें और छोटे अंग वाले होते हैं।
 - दक्षिणी चीन, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस में पाया जाता है।
- **मेंढक की अद्वितीय विशेषताएँ:**
 - तीखी नारंगी और काली आंखें।
 - जालीदार गले का पैटर्न।
 - संध्या के समय मधुर, लयबद्ध पुकार।



गरभंगा रिजर्व वन

- यह असम के गुवाहाटी के दक्षिण-पश्चिमी भाग में, मेघालय राज्य की सीमा पर स्थित है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** यह शहर की जलवायु और जल प्रणालियों को विनियमित करने में सहायता करके गुवाहाटी के लिए हरित फेफड़े के रूप में कार्य करता है।
 - भूजल पुनर्भरण और शहरी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **खतरे:** शहरी विस्तार और आवास विनाश प्रमुख खतरे हैं।
 - अवैध अतिक्रमण और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं ने इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाला है।

Source: TH

मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार**संदर्भ**

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों के पाँच व्यक्तियों को मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया।

परिचय

- इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और यह 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर की स्मृति में मनाया जाता है।
 - USI की स्थापना ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच सैन्य ज्ञान और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए की गई थी।
- इसका मूल उद्देश्य सैन्य टोही और खोजपूर्ण यात्राओं के कार्यों को मान्यता देना था।
 - स्वतंत्रता के पश्चात् 1986 में इस पदक का दायरा बढ़ाकर इसमें सैन्य अभियान और साहसिक गतिविधियाँ भी सम्मिलित कर दी गईं।
- यह पदक सशस्त्र बलों, प्रादेशिक सेना, रिजर्व बलों, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स के सभी रैंकों (सेवारत और सेवानिवृत्त) के लिए खुला है।
- आज तक 127 पदक प्रदान किये जा चुके हैं, जिनमें 103 स्वतंत्रता से पूर्व प्रदान किये गये थे।

Source: PIB